T.S. 15/2017	
19.07.2022	पी.ओ. का स्थानन्तरण हो गया है। उभयपक्ष की हाजरी दी गई है। वादी के अधिवक्ता द्वारा दि0 10.12.2019 को प्रचालित किया गया। जिसमें वादी कहते है कि मुदालय फरीक औवल जो मुदायान के पिता है उनकी मृत्यु दि. 10.08.2019 को हो चुकी है एवं उनका नाम भी मुकदमा से नियमानुसार कलमजद हो चुका है। कि प्रस्तुत मुकदमा वादी द्वारा अपनी मौरूसी जमीन के बंटवारा कराने वास्ते लाया गया है वो भी कुछ जमीन का बक्सीस या अन्य अन्तरण कागजात वगैरह बंटवारा यादी मुदालय फरीक औवल सीताराम सिंह जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी वो बुढापे से शरीर व दिमाग कमजोर हो गया था। वो भी वेला हकियत करा दिया गया हो या बगैरह कान्सेन्ट बगैर तरदीबी कोई नाजायन कागजात नविस्ते सीताराम सिंह तैयार कराया गया हो तो उनकी कोई पांबदी मन मुदाईयान की न हों। यह कि अर्जी के पारा न. 14 के अन्त में फरीक औवल सीताराम सिंह की मृत्यु दि. 10.08.2019 के उपरान्त उनका चल वेा अचल सम्पति उनकी वारीसान दोनो पुत्रीयों पर आयद हुआ जोड दिया जाए। कि दादरसी दोयम पृष्ठ सं. 8 उपरी पंक्ति में जायदाद में के वाद जो 1/3 लिखा हुआ है उसे डिलिट कर 1/2 जोड दिया जाए तथा वो के वाद वाक्याशं मुदालेह नं. 1 का हिस्सा 1/6 को डिलिट कर दिया जाए। उपर से दुसरी पंक्ति में जायदाद के बाद में डिलिट कर दिया जाए एवं मुदईयान का बाद है। जोड दिया जाए तथा पंक्ति तीन में हिस्सा 2/3 वो मुदालेह न. 1 का हिस्सा 1/3 है वाक्यांश को डिलिट कर दिया जाए। प्रतिवादी 2 एवं 5 की ओर से प्रतिउत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वादीगण के तरफ से आवेदन दि. 10.12.19 के तहत अर्जी सुधार को जो आवेदन है। कानूनतः मैंटेनेबुल नहीं है। यथा एडमिटेड फैक्ट में संशोधन में अर्जी में संशोधन का प्रतिकुल प्रभाव पडेगा वो अर्जी सुधार से प्रतिवादी को एडिशनल W/s देना पड सकता है। प्रतिवादी स. 2 एवं 3 W/s मे हकियत जैल है के W/s में उल्लेख किया गया है। कि सिताराम सिंह अपने पत्नी के मृत्यु के पश्चात असहाय महसुस करते रहे। "ग" में जायदाद 1/3 के जगह 1/2 किया जाए वो 1/6 डिलिट कर दिया जाए तो सेन्टेस क्या होगा। इसप्रकार संशोधित

	करके उस मालापत्र यही है वो प्रोवेक्सी एक्ट के तहत नहीं है अतः इससे नेचर एवं स्कोप चेंज होगा। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि आवेदन दि. 10.12.2019 समय सिमा के अन्दर है। प्रतिवादीगण प्रतिउत्तर दाखिल कर आवेदन का 10.12.19 का विरोध करते है। अग्रिम कर्यावाही हेतु वादी का आवेदन दिनांक 10.12.19 को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। अतः वादी का आवेदन दि. 10.12.19 को स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वादी के आवेदन दिनांक 10.12.19 के अनुसार सुधार करें। वाद दिनांक 22.08.22 वास्ते अग्रिम कार्यावाही। लेखापित सब जज, पीरो।